


उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/902 / जबलपुर, दिनांक 02/02/2019


श्री महेश कुमार मिश्रा, सहायक ग्रेड-दो, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को न्यायिक शाखा के आर.के.डी. अनुभाग में कार्यरत रहते हुये न्यायिक अभिलेख से कोर्ट फीस स्टाम्प निकालने का कदाचार करने के फलस्वरूप उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश अधिकारी तथा कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील तथा आचरण) नियम 1996 के नियम 20 सहपठित म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 भाग-चार के नियम 9(1) (क) एवं (ख) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन काल में उनका मुख्यालय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर रहेगा। निलंबन काल में नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

  
(अरविन्द कुमार शुक्ला)

रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक B/903 / जबलपुर, दिनांक 02/02/2019  
प्रतिलिपि:-

- (1) रजिस्ट्रार प्रशासन / (आई.एल.) / न्या. 1 एवं 2, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
- (2) रजिस्ट्रार आई.टी. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
- (3) कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर,
- (4) डिप्टी रजिस्ट्रार,..... उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
- (5) असिस्टेंट रजिस्ट्रार ..... उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
- (6) अनुभाग अधिकारी स्था. / लेखा / बजट / पेंशन उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
- (7) रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
- (8) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार न्यायिक / सतर्कता / (आई.एल.आर. एवं परीक्षा) महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- (9) सहायक स्थापना / लेखा / वेतन पत्रक, सेवा पुस्तिका उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- (10) श्री महेश कुमार मिश्रा, सहायक ग्रेड--दो, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
(सतीश चन्द्र राय)  
रजिस्ट्रार (प्रशासन)